न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी—अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 138/2018
GCMS CASE NO-2018/00110

विकास अधिकारी, पंचायत समिति सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
—निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्रा0प0 बीरमाना तहसील सूरतगढ़
2. सरपंच ग्राम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ़
3. मलुराम पुत्र फुसाराम जाति कुम्हार निवासी 2 डीडब्ल्युएम ग्राम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ़

—गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित:—
1. श्री ऋषिराज मीणा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति सूरतगढ़
2. श्री अजय अरोड़ा अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता संख्या 03

:: निर्णय :: दिनांक : 15.06.2023

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़ ने निगरानी पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत बीरमाना ने गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03 मलुराम पुत्र फुसाराम जाति कुम्हार निवासी 2 डीडब्ल्युएम के नाम से पट्टा संख्या 15 पट्टा बुक संख्या 132 दिनांक 22.05.2017 को जारी कर दिया। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03 को उक्त पट्टा जारी करवाने का अधिकार नहीं था तथा ग्राम पंचायत को भी धारा 157 (1) पंचायत राज अधिनियम के तहत उक्त पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था। पंचायती राज अधिनियम के नियम 152 के तहत उक्त भूखण्ड जरिये नीलामी ही आवंटित किया जा सकता है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज किया जावे।

निगरानीकर्ता की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगरानीकर्तागण को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 को भेजे गये नोटिस विधिवत रूप से तामील होने के बावजुद भी आज दिनांक तक अनुपस्थित रहे है।

निगरानीकर्ता की और से श्री ऋषिराज मीणा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति सूरतगढ़ एवं गैर निगरानीकर्ता संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अजय अरोड़ा उपस्थित हुए। अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 द्वारा अपने पक्ष में साक्ष्य एवं जैर निगरानी भू–खण्ड पर कब्जा होने के सम्बंध में शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। श्री निगरानीकर्ता ने प्रार्थना पत्र में तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत बीरमाना द्वारा दिनांक 22.05.2017 को जारी किया गया था। ग्राम वासियों द्वारा निगरानीकर्ता के समक्ष शिकायते प्रस्तुत करने पर निगरानीकर्ता को उक्त पट्टो की जानकारी हुई। शिकायतों के भौतिक सत्यापन व जांच हेतु एक ... 2018 को किया गया था। उक्त जांच कमेटी द्वारा मौके पर जाकर भौतिक सत्याप... अप्रेल 2018 में सौपी गई। उक्त रिपोर्ट से निगरानीकर्ता को जैर ... ज्ञान हुआ जिस पर विभागीय स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ...गानगर को सूचना दी गई। विभागीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.07.11 17:14:04 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)



Scanned with OKEN Scanner

कार्यवाही पूर्ण होने पर बिना किसी विलम्ब के निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानीकर्ता द्वारा जान बूझ कर देरी नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर निगरानी पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता संख्या 3 दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 का काफी वर्षो से जैर निगरानी भूखण्ड़ पर काबिज है, जिसका भौतिक सत्यापन नहीं किया गया हैं तथा पत्रावली में भौतिक सत्यापन बाबत कोई रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं है। निगरानीकर्ता को उक्त पट्टो की भलीभांती जानकारी थी। लगभग 5 वर्षो बाद यह निगरानी दायर की गई है जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर निगरानी इसी स्तर पर खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पट्टे जारी करने की कार्यवाही में विकास अधिकारी पंचायत समिति का कोई हस्तक्षेप/योगदान नहीं होता है। जिससे यह जाहिर होता है कि निगरानीकर्ता विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़ को ग्राम पंचायत बीरमाना द्वारा जारी किये गये पट्टों की जानकारी नहीं हो पाई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित देरी का कारण उचित व संतोषजनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर निगरानीकर्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता ने निगरानी मीमों के तथ्यों को दौहराया एवं अतिरिक्त कथन किया कि ग्राम पंचायत बीरमाना द्वारा खाली भूखण्ड़ का जैर निगरानी पट्टा पंचायती राज अधिनियम की धारा 157 (1) के तहत जारी कर दिया जबकि नियमानुसार पचास वर्ष से अधिक पुराने घरों का ही पट्टा जारी किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार खुली निलामी राशि जमा ना करवाकर ग्राम पंचायत को राजस्व की हानि भी की है। उक्त पट्टा पूर्ण विधिक प्रकिया अपना कर जारी नहीं किया गया है। अतः जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जावे।

वकील गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 ने दौराने बहस अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि मुझ गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 के नाम से जारी पट्टा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपना कर ही जारी किया गया है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 काफी वर्षो से इस भूखण्ड़ पर काबिज है, एवं बीपीएल परिवार के अन्तर्गत आता है तथा अपने हक में धारा 157 (1) के अन्तर्गत पट्टा जारी करवाने का अधिकारी था। मुझ गैरनिगरानीकर्ता के हक में जारी पट्टा पंजीकृत दस्तावेज है। पंजीबद्व दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। गैरनिगरानीकर्ता इसी ग्राम पंचायत का निवासी है तथा जैर निगरानी भूखण्ड़ पर मकान बनाकर रिहायश कर रहा हैं। इस संबंध में कार्यालय तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली के बिल तथा मकान की फोटो पत्रावली में उपलब्ध है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार ही पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। हमने निगरानीकर्ता की बहस पर चिंतन मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 अनुसार "जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हों और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो राशि जमा करवाकर पट्टा जारी किया जा सकेगा" उक्त नियम में 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों के लिए 100/– राशि निर्धारित की गई है। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157 (1) के तहत जारी किये गये आवासीय भूमि के पट्टे की शर्त संख्या 01 अनुसार उक्त पट्टा पुराने घर पर कब्जा होने की स्थिति में या संनिर्मित किये जाने की स्थिति में जारी किया जा सकता है। पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पंचायत की पत्रावली की प्रमाणित प्रति का अलवोकन करने से पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 03 को प्लाट/भूखण्ड़ आवंटन करने के संबंध में ही, समस्त कार्यवाही कर उक्त भूखण्ड़ का पट्टा जारी किया गया है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 द्वारा फार्म नं. 3 के साथ संलग्न मकान की फोटो से जाहिर होता है कि उक्त मकान 50 वर्ष पुराना नहीं है प्रस्तुत बिजली बिल भी 2019 का है। गैरनिगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त दस्तावेजात जैर निगरानी भूखण्ड़ से ही संबंधित है। अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03 द्वारा बीपीएल राशन कार्ड की प्रति पेश कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.07.11 17:14:04 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)



Scanned with OKEN Scanner

कथन किया गया है वह बीपीएल परिवार की श्रेणी में आता है। ग्राम पंचायत द्वारा बीपीएल परिवार के सदस्यों को पट्टा जारी कर सकती है। परन्तु पत्रावली में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157 (1) के तहत पट्टा जारी किया है, जो कि पुराने गृहों के विनियमितिकरण से संबंधित है। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर बिना विधिक प्रकिया अपनाते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अतः जैर निगरानी पट्टा विधि विरूद्व एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

चूंकि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 का निगरानीधीन पट्टा कार्यालय उप–पंजीयक राजियासर से दिनांक 03.11.2017 को रजिस्टर्ड हो चुका है, अतः निगरानीकर्ता की निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 के नाम से जारी जैर निगरानी पट्टा संख्या 15 दिनांक 22.05.2017 को निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय में नियमानुसार कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़ एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बीरमाना को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.07.11 17:14:04 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with OKEN Scanner